(जी. एस. संधवालिया, न्यायमूर्ति)

जी. एस. संधवालिया न्यायमूर्ति के समक्ष.

राम काला देवी-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत गणराज्य और अन्य - प्रतिवादीगण

सी. डब्ल्यू. पी. No.11573 - 2015

3 जुलाई, 2019

केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972-आर. एल. 8-पारिवारिक पेंशन-बी. एस. एफ. से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले याचिकाकर्ता के पति का पिछले 7 वर्षों से पता नहीं चल रहा है- मृत माना जाता है -उसे अपने ही बेटे की हत्या के आपराधिक मामले में घोषित अपराधी घोषित किया जाता है-पति और पुत्र दोनों को खोने वाली पत्नी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है और वह अपनी संपत्ति और सेवा लाभों का हकदार है-यदि पति का पता लगाया जाता है और उसे अदालत में पेश किया जाता है, तो यह धारणा नहीं चलेगी।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि निर्णय के अवलोकन से यह पता चलता है कि यह न्यायालय के ध्यान में लाया गया था कि प्राथमिकी संख्या 118/2001 दर्ज की गई थी क्योंकि इसे अनुलग्नक पी 2 के रूप में प्रदर्शित किया गया था जिसमें पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन (Ex.P6) भी

शामिल था।वादी ने खुद सहित 4 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और कहा कि पति को भारत में कहीं भी किसी ने या उसके रिश्तेदारों ने नहीं देखा था और वह गांव या इलाके में नहीं लौटा था। नतीजतन, सिविल कोर्ट ने उसे मृत घोषित कर दिया और वादी उसका प्रथम श्रेणी का कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते, उसकी संपत्ति और सेवा लाभों में सफल हो गया था।

(पैरा 9)

आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने न केवल अपने बेटे को आपराधिक अपराध के कारण खो दिया था जो पति ने किया था और उसके बाद, वह फरार हो गया था और उसे पारिवारिक पेंशन के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया था।ऐसी परिस्थितियों में, दीवानी अदालत के आदेश का लाभ याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए।

(पैरा 12)

S.S.Khurana, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

अनीता बाल्यान, अधिवक्ता - प्रतिवादी-यू. ओ. आई. की अधिवक्ता।

जी. एस. संधवालिया, न्यायमूर्ति मौखिक

सीएम-9289-सी. डब्ल्यू. पी.-2019

(1) प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति को अनुबंध पी-11 के रूप में रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति है, प्रार्थना पत्र में किए गए कथन जो शपथ पत्र द्वारा विधिवत समर्थित है को देखते हुए उक्त दस्तावेज़ को रिकॉर्ड में लिया जाता है, केवल अपवादों के अधीन। कार्यालय द्वारा इसे उपयुक्त स्थान पर जोड़ा जाये।

(2) सी.एम. का निस्तारा किया जाता है।

सी. डब्ल्यू. पी.-11573-2015

(3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर वर्तमान रिट याचिका में आदेश दिनांकित 27.02.2015 (अनुलग्नक पी-10) को चुनौती दी गई है जिसमें याचिकाकर्ता के पारिवारिक पेंशन के दावे को खारिज कर दिया गया है।

(4) अस्वीकृति इस तथ्य के कारण है कि याचिकाकर्ता का पति, अर्थात् सिंह राम अपने स्वयं के उल्लंघन के कारण गायब हो गया था क्योंकि उस पर याचिकाकर्ता के बेटे और उसके अपने बेटे की हत्या का भी आरोप लगाया गया था, जिसके लिए आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत 03.06.2001 की प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसे 'भगोड़ा अपराधी' घोषित किया गया था। दिन्नांक 26.08.2013 के जिस फैसले में पति को पिछले 7 वर्षों से लापता होने के कारण मृत घोषित किया गया था, उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अदालत ने इन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया था। नतीजतन, पारिवारिक पेंशन के लिए कार्यवाही, एक तरह से, इस

आधार पर स्थगित कर दी गई कि जब भी पति को उक्त आरोप से बरी कर दिया जाएगा, याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा और एक नया आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। दिन्नांक 03.03.1989 के परिपत्र पर भरोसा रखा गया था कि जहां कोई अधिकारी धोखाधड़ी करने के बाद गायब हो जाएगा, पारिवारिक पेंशन केवल तभी स्वीकृत की जाएगी जब सरकारी कर्मचारी को अदालत द्वारा बरी कर दिया जाएगा। लेख इस प्रकार हैः

"लेख ः- उपरोक्त आदेश सामान्य परिस्थितियों में लापता होने के वास्तविक मामलों को नियंत्रित करते हैं न कि उन मामलों को जिनमें अधिकारी धोखाधड़ी आदि करने के बाद गायब हो जाते हैं। बाद के प्रकार के मामलों में पारिवारिक पेंशन को केवल सरकारी कर्मचारी को अदालत द्वारा या अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि के समापन के बाद ही स्वीकृत करने की आवश्यकता होती है मामला जिस प्रकार का भी हो।

[जी. आई., विभाग।पदों की संख्या, परिपत्र पत्र No.4-52/86-Pen, दिनांक 3 मार्च, 1989।]"

राम काला देवी बनाम भारत और अन्य का संघ

199

(जी. एस. संधवालिया, जे.)

(5) केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 के नियम 8 पर भी भरोसा किया गया था, जो भविष्य के अच्छे आचरण के लिए पेंशन नियमों के बारे में है।

(6) याचिकाकर्ता के वकील ने तदनुसार तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता 2 कारणों से व्यथित है, सबसे पहले, पति ने अपने इकलौते बेटे की हत्या की है। दूसरा, उसके कथित रूप से फरार होने और भगोड़ा अपराधी घोषित होने के कारण, उसे पारिवारिक पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया गया है। तदनुसार, यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के पारिवारिक पेंशन के अधिकार को पति के कदाचार के कारण कम नहीं किया जा सकता है, और अन्यथा भी, एक धारणा है कि उसकी मृत्यु हो गई है, जिसे सिविल कोर्ट के डिक्री दिनांक 26.08.2013 (अनुलग्नक पी-4) से और मजबूत किया गया है। पारिवारिक पेंशन के भुगतान का हक पति के लापता होने की तारीख से होगा। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता को पति के दुराचार का लाभार्थी नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, उपरोक्त टिप्पणी, वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होगी।

(7) हालाँकि, भारत संघ के वकील ने इस आधार पर उक्त तर्कों का विरोध किया है कि पेंशन अधिकार का विषय नहीं है और सरकारी कर्मचारी को उसके बाद भी अच्छा आचरण बनाए रखना पड़ता है।ऐसी परिस्थितियों में, एक बार जब पति के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और वह फरार हो गया, तो याचिकाकर्ता पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं थी। इस न्यायालय द्वारा पहले से दिन्नांक 18.03.2009 को पारित आदेशों (अनुलग्नक पी-3) पर भी भरोसा रखा गया है, जिसमें उस समय पारिवारिक पेंशन को अस्वीकार करते हुए पहले के अवसरों, यानी 12.11.2008 (अनुलग्नक पी-1) और 11.02.2009 (अनुलग्नक पी-2) पर इनकार किया गया था और रिट याचिका खारिज कर दी गई थी।

(8) अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का पति बी. एस. एफ. की 102 बटालियन, बी. एस. एफ. से नायक के पद से 15.06.1993 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुआ और उसे भारतीय स्टेट बैंक, रेवाड़ी शाखा से बैंक खाते No.10575939337 के माध्यम से अपनी पेंशन निकालने के लिए पी. पी. नंबर आवंटित किया गया था। एफ. आई. आर. 03.06.2001 पर दर्ज की गई थी, जैसा कि ऊपर देखा गया है और उसके बाद, याचिकाकर्ता ने अपना दावा प्रस्तुत किया था जिसे उपरोक्त दो आदेशों के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, जो इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय थे।यह अदालत, उस स्तर पर, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस बात की कोई धारणा नहीं हो सकती कि पति की मृत्यु हो गई थी यदि वह फरार था और यह सिंह राम का एक सचेत कार्य था। तदनुसार, उस समय यह अभिनिर्धारित किया गया कि पेंशन से इनकार उक्त विवादित आदेशों में उद्धृत नियमों को ध्यान में रखते हुए किया गया है यह भी देखा गया कि याचिकाकर्ता उक्त प्राथमिकी की सूचना देने वाली थी। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

"यह पता चलता है कि सिंह राम बीएसएफ में सेवारत था, हालांकि, उन्होंने 15.6.1993 पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। ऐसा लगता है कि सिंह राम ने अपने बेटे की हत्या कर दी। याचिकाकर्ता के बयान पर प्रथमिकी संख्या 110 दिन्नांक 3.6.2001 पुलिस स्टेशन खोल, जिला रेवाड़ी धारा 302 आई. पी. सी. दर्ज की गई है।हत्या करने के बाद, सिंह राम कानून की प्रक्रिया से फरार हो गया और अंत में उसे भगोड़ा अपराधी घोषित करना पड़ा।

ट्रायल कोर्ट ने फाइल को रिकॉर्ड रूम में जमा करवा दिया है, जिसे सिंह राम के आत्मसमर्पण करने या 2009 [3] के पुलिस सी. डब्ल्यू. पी. No.4132 द्वारा गिरफ्तार किए जाने और अदालत में पेश किए जाने पर बहाल किया जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह लापता व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि सिंह राम द्वारा अपने ही बेटे की हत्या जैसे गंभीर अपराध करने के बाद कानून की प्रक्रिया से फरार होने के जानबूझकर और सचेत कार्य का मामला है। सिंह राम पर अदालत द्वारा मुकदमा चलाने की आवश्यकता थी, हालांकि, वह फरार हो गया और उसे भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया और फाइल को रिकॉर्ड कक्ष में भेज दिया गया। याचिकाकर्ता को पेंशन देने से इनकार आदेशों में उल्लिखित नियमों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ऐसी परिस्थितियों में पेंशन मांगने में याचिकाकर्ता के पक्ष को सही नहीं ठहरा पाए हैं।

मेरा मानना है कि चूंकि यह सिंह राम का कानून की प्रक्रिया से फरार होने का एक सचेत कार्य है, इसलिए उसे मृत घोषित नहीं किया जा सकता है।

याचिका खारिज की जाती है।"

(9) इसके बाद याचिकाकर्ता ने 18.08.2011 को एक दीवानी मुकदमा (अनुलग्नक पी-11) दायर किया, जिसे अंततः 26.08.2013 (अनुलग्नक पी-4) पर तय किया गया। फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि यह अदालत के संज्ञान में लाया गया था कि 2001 की No.118 वाली प्राथमिकी दर्ज की गई थी क्योंकि इसे पारिवारिक पेंशन आवेदन (Ex.P6) सहित P2 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। वादी ने खुद सहित 4 गवाहों से पूछताछ की और कहा कि पति को भारत में कहीं भी किसी ने या उसके रिश्तेदारों ने नहीं देखा था और वह गांव या इलाके में नहीं लौटा था। नतीजतन, जिस दीवानी अदालत ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और वादी उनके प्रथम श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारी होने के कारण वो उसकी संपत्ति और सेवा लाभों को पाने की अधिकारी है।फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

"5. अपने मामले को साबित करने के लिए वादी ने राजेश कुमार से पीडब्लू 1 के रूप में, मुनि राम से पीडब्लू 2 के रूप में, सरिता से पीडब्लू 3 के रूप में और खुद से पीडब्लू4 के रूप में पूछताछ की, जिन्होंने पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से पीडब्लू 1/ए से Ex.PW4/A तक अपना साक्ष्य दिया। । वादी ने अपने साक्ष्य में वाद के तथ्यों को दोहराया है।सभी गवाहों ने इस तथ्य के बारे में गवाही दी है कि सिंह राम अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को सूचित किए बिना घर से चले गए थे और तब से इसे भारत के किसी भी स्थान पर किसी ने और उनके रिश्तेदारों ने नहीं देखा था और यह भी कि उक्त सिंह राम गांव और इलाके में नहीं लौटे हैं और आज तक किसी इलाके या किसी रिश्तेदार के किसी भी समारोह में शामिल नहीं हुए हैं।

6. उपरोक्त चर्चा और साक्ष्य से, यहाँ यह घोषित किया गया है कि वादी के पति सिंह राम ने 03.06.2003 के बाद से वादी और उसके रिश्तेदारों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं देखा था।इसलिए, वादी को अपनी सभी संपत्ति और सेवा लाभों का हकदार माना जाता है।डिक्री शीट तदनुसार तैयार की जाए, फाइल को उचित अनुपालन के बाद रिकॉर्ड रूम में भेजा जाए।"

(10) इसके बाद, याचिकाकर्ता ने बार-बार और 24.10.2013 (अनुलग्नक पी-5) पर अधिकारियों से संपर्क किया और तदनुसार, मामले को कमांडेंट द्वारा 21.12.2013 (अनुलग्नक पी-6) पर संसाधित किया गया और वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पेंशन शाखा को भेजा गया। 10.05.2013 (अनुलग्नक पी-7) पर याचिकाकर्ता से विभिन्न दस्तावेजों और 05.08.2014 (अनुलग्नक पी-8) पर जानकारी मांगी गई थी। दिसंबर, 2014 (अनुलग्नक पी-9) में, कमांडेंट ने फिर से वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पेंशन, नई दिल्ली को इस तथ्य के बारे में लिखा कि याचिकाकर्ता बार-बार संपर्क कर रही थी और वित्तीय कठिनाई का सामना कर रही थी और इसलिए, कुछ जानकारी दी जानी चाहिए। आखिरकार, विवादित आदेश दिनांक 27.02.2015 (अनुलग्नक पी-10) पारित कर दिया गया है।

(11) इस प्रकार संचयी कारक, यह दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता के वकील के तर्क में सार है।लिखित बयान में भी, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया

है कि आपराधिक मामले में 3 पीडब्लू मौजूद थे और उनसे पूछताछ की गई थी और मुख्य गवाहों से पूछताछ की गई थी और आरोपी को पहले ही भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार, लोक अभियोजक ने साक्ष्य को बंद कर दिया था और जब वह समर्पण करेगा तो फाइल को बहाल किया जाना था।

या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और अदालत में पेश किया जाता है। धारा 299 Cr.P.C को ध्यान में रखते हुए 1972 के नियमों के नियम 8, जो कहता है की सरकारी कर्मचारी के कदाचार को पारिवारिक पेंशन के अधिकार के खिलाफ नहीं पढ़ा जा सकता है जो अधिकार याचिकाकर्ता के पास है।

(12) ऊपर लिखित विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने न केवल अपने बेटे को आपराधिक अपराध के कारण खो दिया था, जो पति ने किया था और उसके बाद, वह फरार हो गया था और उसे पारिवारिक पेंशन के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, दीवानी अदालत के आदेश का लाभ याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए। यह आपत्ति उठाई गई थी कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक निष्कर्ष दिया है और इसलिए, इसे फिर से नहीं खोला जा सकता है, बिना किसी आधार के है।इस अदालत ने दावे को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया था कि रिट कोर्ट यह नहीं मान सकता कि व्यक्ति मर चुका है। उस समय सिविल कोर्ट द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया

था। याचिकाकर्ता ने मुकदमा दायर किया था और जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह दावा करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत रखे कि उसका पति लापता था और उसने संबंधित 7 वर्षों से दिन की रोशनी नहीं देखी थी। ऐसी परिस्थितियों में कानून याचिकाकर्ता के पक्ष में है।

(13) इंदिरा बनाम भारत संघ 1 में, केरल उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत पूर्वव्यापी अनुमान लागू होगा। उक्त मामले में सेना का एक जवान लापता हो गया था और इसलिए मौत का अनुमान उसके लापता होने की तारीख से लगाया गया था। प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः-

"चूंकि याचिकाकर्ता के पति ने अपनी गंभीर चिकित्सा समस्या के कारण अपना सामान्य कार्यकाल लगभग पूरा कर लिया था, इसलिए उन्हें दो साल की आरक्षित सेवा से छूट मिल जाती, इसलिए उन्हें सेना से भगोड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अन्यथा वह कथित भगोड़ा होने की तारीख से कुछ महीनों के भीतर सभी लाभों के साथ सेवानिवृति के पात्र थे। इसके अलावा अगर वह भगोड़ा होना चाहते थे, तो उन्हें 4.10.1995 को बैंगलोर में ड्यूटी में फिर से शामिल होने के लिए रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सेना अधिनियम की धारा 106 में निश्चित रूप से किसी लापता व्यक्ति को पलायन करने वाला घोषित करने के लिए सेवा से बाहर रखने के किसी भी सचेत प्रत्यक्ष कार्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां लापता व्यक्ति मृत हो सकता है या मानसिक या शारीरिक रूप से स्थायी रूप से विकलांग हो सकता है जो 1

(जी. एस. संधवालिया, न्यायमूर्ति)

टाइल सेना या परिवार के ध्यान में नहीं आ सकता है।ऐसे मामलों में भी, सेना द्वारा उसे भगोड़ा घोषित करना उचित हो सकता है, लेकिन यह स्थिति केवल व्यक्ति के लापता होने की तारीख से सात साल की समाप्ति तक जारी रहेगी, जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत मृत्यु का अनुमान उपलब्ध होगा। इसलिए, जब भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत मृत्यु का अनुमान उपलब्ध होता है, तो पूरी स्थिति बदल जाती है और मृत्यु का अनुमान सेना अधिनियम की धारा 106 के तहत व्यक्ति को भगोड़ा घोषित करने का स्थान ले लेता है। नतीजतन परिवार के सदस्य सभी लाभों का दावा कर सकते हैं जैसे कि आदमी अपने लापता होने की तारीख को मर चुका हो। चूंकि यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता का पति सामने नहीं आया है और सेना के अनुरोध पर पुलिस द्वारा उसका पता लगाने के प्रयास के बाद उसका पता नहीं लगाया जा सका है, इसलिए 5.10.1995 को उसकी मृत्यु का अनुमान साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के तहत उपलब्ध है। चूंकि याचिकाकर्ता का पति निश्चित रूप से बीमार था और उसकी बड़ी सर्जरी हुई थी, इसलिए उसकी मृत्यु की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। समाचार पत्रों और मीडिया में नियमित रूप से यह बताया जाता है कि यहां कई शव सामने आ रहे हैं और सभी को बिना किसी की पहचान किए दफनाया गया है। प्रतिवादीगण के बयान के अनुसार याचिकाकर्ता के पति को लापता होने की तारीख यानी बैंगलोर से सैन्य

अस्पताल जा रहा होना चाहिए था। 5.10.1995. मृत्यु के अनुमान के अलावा, परिस्थितियाँ याचिकाकर्ता के पति के अपने कार्यकाल के अंत में सेना छोड़ने की कोई संभावना नहीं दिखाती हैं।

इन परिस्थितियों में, ओ. पी. ने प्रतिवादीगण को याचिकाकर्ता और परिवार के अन्य सदस्यों को सभी लाभ प्रदान करने का निर्देश देने के साथ ओ. पी. को निस्तारित किया जाता है, जैसे कि याचिकाकर्ता के पति श्री एम. राधाकृष्णन की 5.10.1995 पर सेवा में मृत्यु हो गई हो। प्रतिवादीगण याचिकाकर्ता द्वारा इस निर्णय की प्रति पेश करने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने, पेंशन देने, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति आदि जैसे लाभ प्रदान करेंगे। याचिकाकर्ता और परिवार के सदस्य बिना किसी देरी के फैसले के अनुपालन के लिए संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस फैसले की प्रति के साथ आवश्यक आवेदन करेंगे।"

(14) कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने सी. डब्ल्यू. पी. 4666-2016 शीर्षक लच्छमी देवी बनाम केंद्रीय भंडारण निगम व अन्य में भी उन लाभों की अनुमति दी जिसमें कर्मचारी का पति उक्त निगम के साथ चौकीदार के रूप में काम करते हुए लापता हो गया था। उक्त मामले में 23.03.2004, यानी जिस दिन कर्मचारी लापता हुआ था, उस दिन से सेवानिवृत्ति देय राशि का लाभ भी दिया गया था। उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सीधे लागू होगा। हालांकि, वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में एक शर्त अनिवार्य रूप से लागू करनी होगी

कि यदि याचिकाकर्ता के पति का पता लगाया जाता है या उसे गिरफ्तार किया जाता है और अदालत में पेश किया जाता है, तो अनुमान का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसमें की गई कोई भी टिप्पणी आपराधिक न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को भी प्रभावित नहीं करेगी, जिसके तहत उसे भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया है।

(15) नतीजतन, उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका की अनुमति दी जाती है, दिनांकित 27.02.2015 (अनुलग्नक पी-10) के विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है।प्रतिवादीगण को पारिवारिक पेंशन के लिए याचिकाकर्ता के मामले को संसाधित करने का निर्देश देते हुए एक रिट ऑफ मैंडमस जारी किया जाता है। यदि याचिकाकर्ता के पति को विशिष्ट तिथि तक पेंशन का भुगतान किया गया था, तो भुगतान प्राप्त होने के एक महीने बाद पारिवारिक पेंशन जमा हो जाएगी। बकाया राशि का भुगतान इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति से 3 महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता बकाया राशि पर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का लाभ भी प्राप्त करने का हकदार होगा।

पायल मेहता

अस्वीकरण - सथानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है! सभी व्यावहारिक एंड अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा!

ramesh kumar